

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र चिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द चिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आनेवित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

उक्त भूमि पर केवल पुराने वन भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है। कोई नया वन भूमि का शोषण नहीं हो रहा है।

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
नैनीताल वन क्षेत्र
(जनपद वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

For Signatures & Stamping
ह०/-
प्रयोक्ता एजेंसी

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।